फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. शिवदासपुरा बनाम जगदीश प्रसाद बणजारा

केस संख्या 138/2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08-10-2024	माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के प्रकरण संख्या जीएसएमएस/2024/92 आदेश दिनांक 27.03.2024 से प्रकरण रिमाण्ड हो कर प्राप्त होने पर पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय पैरोकार का कथन है कि थानाधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा की एफआईआर संख्या 578/2023 ब सिलसिले राजस्थान गो वशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 25.08.2023 को सूचना मिलने पर करीब 10.22 पीएम पर गौ वंश को अवैद्य तरीके से भर के ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर टोल प्जाजा टौक रोड के पास नाकाबन्दी में 12.55 पीएम पर एक ट्रक नम्बर आरजे 09 जीए 7572 को रोक कर जांच किये जाने पर ट्रक में पूर्णतया 3 से 4 साल की आयु के बछडों से भरा हुआ पाया गया व ट्रक में बन्द बछडों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ट्रक में गो वंश ठूस ठूस कर भरे होने से एक दूसरे बछडों के पैरों के नीचे रोंदे जा रहे थे । मौके पर गिनती करने पर ट्रक में कुल 29 बछडे पाये गये जिनमें से 3 बछडे पैरों से रोदने जाने के कारण मृत अवस्था में पडे हुये मिले। अप्रार्थी द्वारा ट्रक में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। पूर्व में मान्य न्ययालय से प्रकरण में काम में लिये गये ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये है जो उचित है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें। अतः जब्त ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में जब्त वाहन का एक मात्र स्वामी होने है तथा जब्त ट्रक अप्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है। ट्रक खुले में खड़ा है जिससे खराब होने का अंदेशा है। प्रकरण में अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है। जिसके आधार पर ही माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर ने मान्य न्यायालय के आदेश दिनाकं 19.10.2023 को	

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

सरकार जरिये एस.एच.ओ. शिवदासपुरा बनाम जगदीश प्रसाद बणजारा

केस संख्या 138/2024 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
	अपारत कर प्रकरण रिमाण्ड किया है। अतः जब्त ट्रक को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे।
08-10-2024	उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के ट्रक में ठूंस ठूंस कर कुल 29 गो वंश को ले जाते पाया गया है जिसमें 03 गौ वंश मृतक मिले है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाब रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्मानि का संदाय करने का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। अतः 3,00,000/–अक्षरे तीन लाख रूपये जुर्माना राशि " पशु कुरता निवारण समिति जयपुर " बैंक ऑफ बडौदा शाखा एम. आई. रोड जयपुर के खाता संख्या 014210008024 में जमा कराता है, तो यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त ट्रक वांछित नही हो तो ट्रक को छोड़ दिया जाये और यदि जुर्माना राशि एक माह में जमा नहीं कराता है, तो ट्रक को जब्त कर लिया जावे। साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करें कि कार्यवाही मुकदमा के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा और ना ही रंग रोगन करेगा। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। जब्त गौ वंश को पूर्व में ही थानाधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा द्वारा प्रबन्धक गौशाला हिंगोनिया की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पत्रावली दिनांक 14.11.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

सरकार जरिये एस.एच.ओ. शिवदासपुरा बनाम जगदीश प्रसाद बणजारा

केस संख्या 1[illegible]/2024 (राज. गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18-10-2024	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी ने हस्ब आदेश दिनांक 08.10.2024 की पालना में शपथ पत्र व जुर्माना राशि 3,00,000/–अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र बैंक ऑफ बडौदा शाखा एम आई रोड जयपुर "पशु क्रूरता निवारण समिति" जयपुर के खाते में जमा करा कर रसीद प्रस्तुत कर दी है। अतः मोचन आदेश जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	जगदीश (रामप्रसाद)